अध्याय - प्रथम

शोध परिचय

अध्याय - प्रथम
शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना :-

शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माण का मूलाधार हैं। शिक्षक पर ही समाज की उन्नति निर्भर होती है।। शिक्षक पालकों को समुचित शिक्षा प्रदान कर देश के भविष्य को उज्जवल करता है। शिक्षक का महत्व अगाद्य है, अवर्णनीय है। प्राचीन काल में शिक्षक को गुरू का स्थान दिया गया। गुरू को भगवान तुल्य माना जाता था कहा जाता है।

" गुरू ब्रह.मा गुरू विष्णु गुरू देवों महेश्वरा ।
गुरू साक्षात् परब्रहम तस्मै श्री गुरूवे नमः।।"

गुरू को त्रिमूर्ति का दर्जा दिया गया है। ब्रहमा जो ज्ञान का भंडार है, विष्णु ज्ञानदाता है और शिव ज्ञान का सदउपयोगकर्ता है। विवेकानन्द का कहना है कि जो शिक्षक विद्यार्थियों के स्तर पर उतरकर उनकी आत्मा का परीक्षण करके शिक्षा देता है वही सच्चा शिक्षक है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार चार प्रकार के शिक्षक होते हैं। सामान्य शिक्षक वह है जो केवल कहता है। अच्छा शिक्षक वह है जो समझाता है और उत्तम शिक्षक वह है जो प्रदर्शित करता है महान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को प्रेरणा देता है। अध्यापक का महत्व एक निम्न उक्ति से प्राप्त होता है-

"भवन निर्माण में जो स्थान ईंटों का हैं, राष्ट्र निर्माण में वही स्थान शिक्षक का है।"

किसी भी देश या समाज की प्रगति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक साधन हैं। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है यह बालक के अन्दर निहित प्रकृति-प्रदत्त जन्मजात शक्तियों का प्रकटीकरण कराती है, उन्हे बाहर निकाली है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में अर्न्तनिहित शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठतम को प्रकाश में लाना है। स्पष्ट है कि शिक्षा का मुख्य लक्षण

बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन महत्वपूर्ण घटकों के चारो तरफ चलती है। यह है शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। इन तीनो घटकों में शिक्षक का स्थान सर्वोपरी है। शिक्षक शिक्षारूपी सम्पूर्ण तंत्र का नियन्ता एवं संचालक है। शिक्षक की प्रतिबद्धता केवल विद्यालय के पाठ्यक्रम को सत्र भर पढाना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है बल्कि वह व्यक्तित्व निर्माणा, भावी नागरिकों का प्रशिक्षण उनका चारित्रिक विकास तथा समस्त विकासों को गतिप्रदान करता है।

किसी भी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का होता है। शाला की उन्नति अथवा विकास के लिए उचित पाठ्यक्रम, श्रेष्ठ पाठ्यपुस्तकें उत्तम शिक्षा साधन तथा उपयुक्त शालागृहों की आवश्यकता तो है ही परंतु उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता है उपयुक्त अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं की। वे ही शिक्षा पद्धति को चलाते है अच्छे शिक्षकों के अभाव में किसी भी देश की शिक्षा पद्धति निर्जीव एवं निस्तेज हो जाती है। इसी तथ्य को समझकर प्राचीन भारत में शिक्षकों का एक विशिष्ट स्थान था। लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में अध्यापकों की स्थिति सोचनीय हो गयी। इसलिए स्वंतत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा नियुक्त राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग तथा कोठारी आयोग ने इस वात पर बल दिया कि अध्यापकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक दशाओं को सुधारे बिना शिक्षक का उत्तरदायित्व अपूर्ण ही रहेगा। देश के सारे शिक्षा शास्त्री विद्वान, राजनीतिज्ञ और प्रशासक यह स्वीकार करते हैं। कि देश जिस संकटकालीन दौर से गुजर रहा है उसमें अध्यापक ही सम्वल प्रदान कर सकते हैं।

बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक को बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। शिक्षक की वास्तव में बालक का समुचित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सामाजिक एवं सवेंगात्मक विकास कर सकता है।

विद्यालय प्रांगण में भी शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिक निभानी पड़ती है। सम्पूर्ण विद्यालय योजनाओं को वही व्यावहारिक रूप देता है। अच्छी शिक्षण पद्वति प्रभावरहित हो जाती है यदि शिक्षक सही ढंग से प्रयोग न करें। जिस प्रकर विद्यालय जीवन में प्रधानाध्यापक मस्तिष्क के रूप में होता है शिक्षक आत्मा स्वरूप होता है आत्मा के बिना शरीर (विद्यालय) निर्जीव होता हैं शिक्षक ही विद्यालय जीवन का गतिदाता है।

शिक्षा का रक्षक :-

समाज में प्रचलित शिक्षा का रक्षक भी शिक्षक ही होता है। वास्तव में शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों के स्तर के ऊपर नहीं जा सकती है जिस स्तर के शिक्षक होंगें। उसी स्तर की शिक्षा व्यवस्था होगी। शिक्षा की गुणात्मक स्थिति शिक्षकों की स्थिति तथा उनके गुणात्मक पहलू पर निर्भर हैं।

राष्ट्र की उन्नति में स्थान :-

अध्यापक का राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है कहा भी जाता है कि "एक आदमी हत्या करके एक ही जीवन का अन्त करता है, किन्तु शिक्षकगण गलत शिक्षा देकर सम्पूर्ण परिवार की हत्या करते हैं तथा सम्पूर्ण राष्ट्र का अहित करते हैं।" शिक्षक अपनी समुचित शिक्षा से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते हैं, जो राष्ट्र की प्रगति के आधार होते हैं।

राष्ट्र का मार्गदर्शक :-

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भाग्य का मार्गदर्शक है। शिक्षक वौद्धिक परम्पराओं तथा तकनीकी कौशलों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता हैं वह सभ्यता एवं संस्कृति का पोषक एवं परिमार्जनकर्ता है। वह बालक का ही मार्गदर्शक नही वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक है।

भविष्य का निर्माता :-

डॉ. जाकिर हुसैन के अनुसार – "वास्तव में शिक्षक हमारे भाग्य का निर्माता है। समाज अपने ही विनाश पर उनकी उपेक्षा कर सकता है।"

प्रो. हुमायूँ कबीर ने लिखा हैं– "शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक होते हैं। वे पुनः निर्माण की कुंजी है।"

संस्कृति का पोषक :-

गारफोर्थ के शब्दों में "शिक्षक के माध्यम से ही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, समाज की परम्पराऐं नवयुवकों को ज्ञात होती हैं तथा वही नये एवं रचनात्मक उत्तरदायित्व ऊर्जायें छात्रों को सौंपता है शिक्षक संस्कृति का परिमार्जक एवं रक्षक हैं।"

किसी भी समाज का स्थायी विकास तभी संभव जब समाज के लोग विकास की प्रक्रिया में सहभागी है। प्रदेश की बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसान हो जाता हैं, जब उस समस्या की सही पहचान उन लोगो के द्वारा की जाए, जिनकी वह समस्या हैं, और उन्हे हल करने के तरीकों से शामिल भी किया जाए। विकास का ही दृष्टिकोंण मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा से सर्वाधिक संबंध रखता हैं। यदि हमें प्रदेश के हर कोने और हर व्यक्ति को शिक्षित करना है, तो यह काम प्रदेश के लोगों के सहयोग से ही संभव है।

स्वतंत्रता के पश्चात् देश के लोकतांत्रिक विकास व निर्माण के लिए समाज को शिक्षित करना नितांत आवश्यक था। जब तक हम इस काम को केवल केन्द्रीकृत व्यवस्था के जरिए करते रहे। हमें अपने उद्देश्यों में सीमित सफलता मिली और अब भी हम प्रारंभिक शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए निरन्तर प्रयासरत् हैं। शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुए

मध्यप्रदेश जैसे राज्य में समस्याओं का आकार काफी व्यापक है। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के प्रति प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार ने इस समस्या को 1996 में विकन्द्रीकृत लोक संपर्क अभियान के माध्यम से समझने की कोशिश की। इस कोशिश से नव-निर्वाचित पंचायतों एवं समुदाय की सहभागिता थी। इस व्यापक लोक सम्पर्क अभियान का उद्देश प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं की वर्तमान स्थिति मालूम करना और यह पारिवारिक सर्वेक्षण करना या कितने स्कूल के वाहर हैं। सर्वेक्षण से यह बात सामने आई कि प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने के संबंध में जो व्यवस्था है, उसकी बजह से आदिवासी बहुत क्षेत्रों की अलग-अलग बिखरी हुई वसाहटों तक शिक्षा सुविधा की पहुंच नहीं हो सकी है। सर्वेक्षण में ऐसी 20 हजार वसाहटों की पहचान हुई।

मध्यप्रदेश में शिक्षा का प्रचार - प्रसार इस गति से नही हों पाया, जिस गति से आपेक्षित था। शिक्षा के प्रसार की गति को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। ये कारक स्थान समाज तथा परिस्थिति के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इन अवरोधक कारकों को दूसरे शब्दों में शिक्षा में विस्तार में समस्यायें कहा जा सकता है। ये समस्यायें शिक्षा की सामग्री में निम्नलिखित चार घटकों से सम्बन्धि हो सकती है।

1. बालक
2. शिक्षक
3. पाठ्यक्रम
4. वातावरण

इन उपरोक्त घटकों में से यदि एक घटक में भी गड़वड़ी आ जायें तो शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। बालक के दिमाग और विषयवस्तु (पाठ्यक्रम) के बीच शिक्षक पुल का कार्य करता है। यदि पुल (शिक्षक में) समस्या या खराबी आ जाये ते बालक एवं पाठ्यक्रम का मिलन महत्वपूर्ण घटक हैं।

शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया में यंत्रवत कार्य नहीं करता। शिक्षक भी समाज का एक सदस्य है तथा सामाजिक प्राणी है अतः आम आदमी की तरह शिक्षक की कुछ व्यक्गित आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो शिक्षक शिक्षण कार्य में पूरी क्षमता के साथ योगदान देता रहता हैं परन्तु मध्यप्रदेश जैसे प्रदेश में जहां भौगोलिक असमानता तथा संसाधनों की कमी के कारण समस्यायें विकराल रूप में मोजूद है जिसके कारण शिक्षा का प्रसार वाधित हो रहा है, जिसका मुख्य कारण म.प्र. के अधिकतम विद्यालयों में शिक्षकों की व्याप्त कमी है। म.प्र. शासन ने विद्यालयों में व्याप्त शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए समय - समय पर अनेक परियोंजनायें लागू की, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं -

1.2 मध्यप्रदेश में प्रारंभ की गई परियोजनाएं -

(1) शिक्षाकर्मी परियोजना

(2) शिक्षा गारंटी योजना

(1) शिक्षाकर्मी परियोजना -

म.प्र. शासन ने राजस्थान की तर्ज पर शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट की रूपरेखा सन् 1994 में बनाई, इसका क्रियान्वयन सन् 1996 में किय गया। निर्धारित योग्यता वाले स्थानीय व्यक्तियों को शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाता था, जिनको 30 अप्रैल को कार्यमुक्त कर दिया जाता था। बाद में सन् 1998 में शिक्षाकर्मी के स्थान पर संविदाशाला शिक्षक कर दिया गया।

वर्तमान में संविदाशाला शिक्षक का चयन व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर किया जाता है -

सारणी क्रमांक 1.1

संविदा शाला शिक्षक की पात्रता शर्तों का विवरण

क्र.	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक योग्यता
1.	वर्ग – 1	21	33	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष
2.	वर्ग – 2	21	33	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि य समकक्ष
3.	वर्ग – 3	18	33	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा या समकक्ष

टीप :–

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछ्ड़े वर्गों या किन्ही अन्य वर्गों के लिए उच्चतर आयु सीमा में छूट, सरकार के नियमों के अनुसार होगी।
2. महिला अभ्यार्थियों के लिए अन्य छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष की छूट होगी।
3. जिन अभ्यार्थियों ने संबंधित पंचायत के पर्यवेक्षक के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य किया है, इन्हें उच्चतर आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा सकेगी।
4. औपचारिकत्तर शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को उनकी आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जायेगी।

5. न्यूनतम या अधिकतम आयु की गणना, रिक्त पदों के विज्ञापित होने के कैलेण्डर वर्ष के 1 जनवरी के संदर्भ में की जायेगी।

कुछ महत्वपूर्ण शर्तें (2001) –

संविदाशाला शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति –

1. पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकरी के माध्यम से पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेंगा।
2. पंचायत के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार केवल यात्रा–भत्तों का हकदार होगा।
3. पेंशन सम्बन्धी फायदों का हकदार नहीं होगा।
4. एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथ्य 3 दिवस के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, किन्तु किसी प्रकार के अन्य अवकाश का हकदार नहीं होगा।
5. संविदाशाला शिक्षक तथ उनके पद स्थानांतरण नहीं है।
6. मंहगाई भत्ता, गृहभाड़ा या कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
7. इन नियमों के अधीन सेवाओं का पर्यवसान, पदावधि के अवसान के पूर्व, किसी भी ओर से एक माह की सूचना देकर या उसके स्थान पर एक माह की संविदा राशि चुकाकर किया जा सकेगा।
8. इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 द्वारा शासित होगा। सेवा को कोई अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसी कि नियुक्ति के आदेश में विनिदिृष्ट की जाये।
9. प्रत्येक व्यक्ति से, जिसे इन नियमों के अधीन नियुक्ति दी गई है, निर्धारित प्रारूप में करार करने की अपेक्षा की जायेगी।

1.3 वैकल्पित परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत् शिक्षकों की समस्यायें :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा को अनवरत गति प्रदान करने तथा विद्यालयों में व्याप्त शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए चलायी जा रही परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत् संविदा शिक्षकों की समस्याओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. आर्थिक समस्यायें।
2. मनोवैज्ञानिक समस्यायें।
3. सामाजिक समस्यायें

उपरोक्त वर्गीकरण संविदा शिक्षकों से की गई चर्चाओं पर आधारित हैं

1. आर्थिक समस्यायें -

संविदा शाला शिक्षकों को नियमित शाला शिक्षक के समान ही कार्य करना पड़ता है जबकि दोनो के वेतनमान में काफी अन्तर है नीचे तालिका में संविदा शाला शिक्षक तथा नियमित शिक्षक का वेतनमान दिया गया है।

सारणी क्रमांक 1.2

क्र	संविदा शिक्षक के वेतनमान का विवरण		शासकीय कर्मचारी/शिक्षक के वेतनमान का विवरण		अन्तर
1.	–	–	भृव्य	3876	–
2.	वर्ग – 3	2500	सहायक शिक्षक	6080	3580
3.	वर्ग – 2	3500	शिक्षक	7600	4100
4.	वर्ग – 1	4500	व्याख्याता	–	–

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि समान कार्य के बाद भी वेतनमान मे काफी अंतर है जिसकी बजह से संविदाशाला शिक्षकों को अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज की महगाई के समय में जब दिन दुगने रात चौगुनी मंहगाई बढ़ रही है। तब इतने कम वेतन पर कार्य करने पर व्यक्ति द्वारा कार्य करने पर उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है इसके अतिरिक्त आय दिन समाचार पत्रों में "आर्थिक तंगी से शिक्षा कर्मी की मौत का आरोप नामक शीर्षक भी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। बढ़ती मंहगाई तथा उम्र के साथ जिम्मेदारियो को पूरा करने के लिये आर्थिक स्त्रोत अपर्याप्त है। ऐसे में निश्चत रूप से शिक्षण प्रभावित होगा।"

2. मनोवैज्ञानिक समस्याओं –

मनोवैज्ञानिक समस्याओं का प्रधान स्त्रोत आर्थिक तंगी होती है एक ही विद्यालय में काम करने वाला भृव्य संविदाशाला शिक्षक से 1736/– रू. अधिक वेतनमान पर कार्यरत है। तथा समान कार्य करने वाले सहायक शिक्षक का वेतनमान 3580/– अधिक है। इस स्थिति में निश्चित

रूप से संविदाशाला शिक्षक का मनोवल हास होगा परिणामस्वरूप मानसिक तनाव चिंता, ईर्ष्या, उत्पन्न होती है साथ ही आत्मविश्वास भी कम हो जाता हैं जो कि निश्चित तौर पर उसके शिक्षण प्रभावशीलता पर प्रभाव डालेगा।

3. सामाजिक समस्यायें –

आज वर्तमान समय में व्यक्ति कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक आर्थिक स्तर बन चुका है कम वेतन मिलने के कारण शिक्षक की सामाजिक प्रतिष्ठा निश्चित रूप से प्रभावित हुई हैं शिक्षक का सर्वोच्च पद, प्रतिष्ठा तथा सम्मान जाता महसूस हो रहा हैं संविदाशाला शिक्षक नाम शिक्षक को शिक्षक के आदर्श से दूर करता जा रहा हैं।

अतः शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षक का आत्मसम्मान तथा प्रतिष्ठा बरकरार रखनी ही पड़ेगी।

1.4 प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व –

व्यक्ति एवं समाज के विकास शिक्षक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । शिक्षक के व्यक्तित्व में आदर्श, विश्वास, श्रद्धा, कार्यनिष्ठा, दृढ़ता तथा निजी उत्साह एवं विशाल दृष्टिकोंण होना अतिआवश्यक है। मध्यप्रदेश शासन ने शिक्षकों की कमी को देखते हुऐ इसकी पूर्ति हेतु शिक्षाकर्मी परियोजना का विकास किया जिसके तरह लगभग एक लाख शिक्षकों की भर्ती की गई। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में भी प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आज मध्यप्रदेश के स्कूलों में शिक्षक से ज्यादा संविदाशिक्षक है, कहीं – कहीं तो सिर्फ संविदाशिक्षकों के सहारे स्कूल चल रहे हैं। वहाँ न कोई नियमित शिक्षक है न कोई प्रधानअध्यापक। ऐसे स्थिति में संविदाशिक्षकों पर एक नियमित शिक्षक की जिम्मेदारी एवं कार्यभार दोनो करने पड़ते हैं। जबकि उनका

वेतन नियमित शिक्षकों की तुलना में बहुत ही कम है। अतः काम की जिम्मेदारी एवं आर्थिक तंगी के कारण इन्हे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे इनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

आज के मंहगाई के समय में जब हर वस्तु के दाम दिन दुने रात चौगने बढ़ रहे हैं। तब इतने कम वेतन कई तरह की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक समस्याऐं उत्पन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त वह अपने व्यवसाय से कितना संतुष्ट है यह भी उसकी कार्यक्षमता एवं शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करता हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय से ही संतुष्ट न हो तो वह उसके कार्य को पूर्ण लगन एवं निष्ठा पूर्वक नहीं करेगा। चूंकि मध्यप्रदेश के विद्यालयों में आज कि स्थिति में नियमित शिक्षकों से ज्यादा संविदाशिक्षक हैं अतः शिक्षा एवं प्रदेश का विकास इन्ही पर निर्भर करता है। अतः मध्यप्रदेश के भविष्य निर्माता यही है इसलिये उनकी व्यवसायिक संतुष्टि समस्याओं को जानकर प्रयत्न किये जाने चाहिये एवं इनके विकास के लिये कुछ सुझाव दिये गये हैं।

1.5 समस्या कथन –

संविदा शिक्षकों की व्यवसायिक संतुष्टि एवं समस्याओं का अध्ययन करना।

1.6 शोध में प्रयुक्त शब्दावली की परिभाषा –

संविदा शिक्षक

प्रस्तुत शोध में संविदा शिक्षकों से तात्पर्य उस शिक्षक समुदाय से है जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा सन् 1996 में बनाई गई शिक्षाकर्मी परियोजना के तहत कार्यरत है जो नियमित शिक्षकों के समान कार्य करते हैं तथा कम वेतन एवं सुविधायें प्राप्त करते हैं।

व्यवसायिक संतुष्टि –

इसमें दो शब्द प्रयुक्त व्यवसाय और संतुष्टि। व्यवसाय से हमारा तात्पर्य किसी कार्य विशेष से है व्यक्ति जिस कार्य में संलग्न रहकर अपने जीविकोपार्जन के लिए धन प्राप्त करता है वही इसका व्यवसाय है।

संतुष्टि एक सर्वव्यापक शब्द है जिसका अर्थ विवादस्पद है भारतीय दार्शनिकों के अनुसार परित्याग ही संतोष है अर्थात इच्छा रहित अवस्था ही संतोष की अवस्था है परन्तु यह चरम स्थिति सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। समाज में विरले ही इस स्थिति को प्राप्त करते हैं।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम संतुष्टि का आवश्यकताओं के संबंध में ही अध्ययन करते हैं। मनुष्य की आवश्यकता का वर्गीकरण 'मेस्लो महोदय' के अनुसार पांच अवस्थाओं में किया गया है –

1. मूलभूत शारीरिक आवश्यकताऐं
2. आत्मानुभूति
3. आत्म सम्मान की भावना
4. प्रेम एवं सामाजिकता

हर व्यक्ति अपने व्यवसाय में इन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है इसलिए वह व्यवसाय से संलग्न रहकर परिश्रम एवं कार्य करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति किसी व्यवसाय में होती है तो उसे व्यवसायिक संतोष कहा जाता है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संतुष्टि का दार्शनिक दृष्टिकोंण अतिव्यापक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोंण के अनुसार व्यक्तियों कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति यदि किसी व्यवसाय से होती है तो उसे संलग्न कर्मचारियों को व्यवसायिक संतोष होगा, यदि कर्मचारियों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उक्त व्यवसाय से नहीं होती तो उससे सलंग्न व्यक्तियों को व्यवसायिक संतोष नहीं होगा।

प्रस्तुत अनुसंधान में संविदा शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि एवं समस्याओं का अर्थ विशेष रूप से स्वीकार किया जाता हैं यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है कि व्यावसायिक संतुष्टि एवं समस्याओं का क्षेत्र बहुत व्यापक है अतः प्रस्तुत शोध में व्यावसायिक संतुष्टि एवं समस्याओं का अध्ययन। वर्तमान पद, संबंधित कार्य, निर्धारित वेतनमान, विद्यालय प्रशासन, शिक्षा विभाग के नियम, नियमित शिक्षकों का व्यवहार, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि के परिपेक्ष्य में किया गया है।

समस्याएं -

समस्या से तात्पर्य संविदा शिक्षकों को आने वाली आर्थिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक समस्याओं से है।

1.7 शोध उद्देश्य -

1. संविदा शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि का अध्ययन (वर्तमान पद, पद से संबंधित कार्य, निर्धारित वेतन, विद्यालय प्रशासन, शिक्षा विभाग के नियम, नियमित शिक्षकों का व्यवहार, सामाजिक प्रतिष्ठा के परिपेक्ष्य में) करना।
2. संविदा शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन करना।
3. संविदा शिक्षकों की स्थिति एवं शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु सुझाव देना।

1.8 शोध के चर -

जिस गुण, विशेषता या अवस्था का अध्ययन करना शोध का उद्देश्य हो, उसे चर कहते हैं। प्रस्तुत शोध में निम्न चरों का अध्ययन किया गया है।

स्वतंत्र चर –

साधारणतया प्रयोगकर्ता जिस कारण के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। और प्रयोग में जिस पर उसका नियंत्रण रहता है। उसे स्वतंत्र चर कहते हैं।

प्रस्तुत शोध में वर्ग, लिंग, स्थान, वैवाहित स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता को स्वतंत्र चर के रूप में लिया गया है।

आश्रित चर –

स्वतंत्र चर के कारण जो व्यवहार परिवर्तित होता है और जिसका अध्ययन तथा मापन किया जा सकता है उसे आश्रित चर कहते हैं।

प्रस्तुत शोध में वर्तमान पद, पद से संबंधित कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन, नियमित शिक्षकों का व्यवहार, शिक्षा विभाग के नियम सामाजिक प्रतिष्ठा आश्रित चर हैं।

1.9 शोध प्रश्न –

1. क्या संविदा शिक्षक अपने वर्तमान पद् से संतुष्ट हैं?
2. क्या संविदा शिक्षक अपने कार्य से संतुष्ट हैं?
3. क्या संविदा शिक्षक अपने निर्धारित वेतनमान से संतुष्ट है?
4. क्या संविदा शिक्षक विद्यालय प्रशासन से संतुष्ट हैं?
5. क्या संविदा शिक्षक नियमित शिक्षकों के व्यवहार से संतुष्ट हैं?
6. क्या संविदा शिक्षक सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्ठ है?
7. क्या संविदा शिक्षा शिक्षा विभाग के नियमों से संतुष्ठ है?
8. क्या लिंग के आधार पर संविदा शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्ठि में कोई सार्थक अन्तर है?
9. क्या वर्ग के आधार पर संविदा शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर है?

10. क्या स्थान के आधार पर संविदा शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर हैं ?

11. क्या वैवाहिक स्थिति के आधार पर संविदा शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर है ?

12. क्या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर संविदा शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अंतर है ?

13. क्या व्यावसायिक योग्यता के आधार पर संविदा शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर है ?

1.10 अनुसंधान की परिकल्पनाऐं -

1. संविदा शिक्षकों की लिंग के आधार पर व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2. संविदा शिक्षकों की वर्ग के आधार पर व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

3. संविदा शिक्षकों की वैवाहिक स्थिति के आधार पर व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

4. संविदा शिक्षकों की विद्यालय के प्रकार के आधार पर व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

5. संविदा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं।

6. संविदा शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता के आधार पर व्यावसायिक संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.11 शोध की परिसीमाएं –

प्रस्तुत शोध में समय एवं शोध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शोध समस्याओं को निम्न सीमाओं तक केन्द्रित रखा गया है।

1. अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले को ही लिया गया हैं।
2. टीकमगढ़ जिला में चार तहसील निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा, जतारा के विद्यालयों को अध्ययन में शामिल किया गया है।
3. अध्ययन हेतु उपरोक्त चारों तहसील के 27 विद्यालयों में कार्यरत 150 संविदा शिक्षकों को ही लिया गया है।
4. अध्ययन हेतु प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को लिया गय है।
5. अध्ययन हेतु ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों को लिया गया है।
6. इस शोध में 104 ग्रामीण एवं 46 शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को ही शामिल किया गया है।